न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 168/2019 रा0रा0अ0

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यालय इकाई दौसा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी लालसोट जिला दौसा
2. भौरया पुत्र गणेश
3. रामसहाय पुत्र गणेश
4. समगोपाल पुत्र गणेश
5. बरदी पत्नि स्व० शंकरलाल
6. गोपाली पत्नि छीतर
7. बाबूलाल पुत्र शंकरलाल
8. बनवारी पुत्र शंकरलाल
9. विनोद पुत्र शंकरलाल
10. महेन्द्र पुत्र शंकरलाल
11. लक्ष्मण पुत्र काल्या
12. गंगू पुत्र गोपाल(फोत)
    12.1 जगदीश पुत्र गंगू
    12.2 राजेश पुत्र लादू
    12.3 विक्रम पुत्र लादू
    12.4 कविता पुत्री लादू
    12.5 पिंकी पुत्री लादू
    12.6 मन्नी पत्नि लादू
13. ओमप्रकाश पुत्र लालू
14. मदनलाल पुत्र लालू
15. रामकुंवार पुत्र लालू
16. शान्ति देवी पत्निप स्व.लालू
17. रामस्वरूप पुत्र गोविंदा
18. मेवा पुत्र केसरा(फोत)
    18.1 रेवडमल पुत्र मेवाराम
    18.2 रमेश पुत्र मेवाराम
19. बल्लू पुत्र कन्हैया
20. गंगाराम पुत्र कन्हैया
21. सुखजी पुत्र पून्या(फोत)
    21.1 लल्लू पुत्र सुखजी
    21.2 भागीरथ पुत्र सुखजी
    21.3 कैलाश चन्द पुत्र सुखजी
    21.4 किशनलाल पुत्र सुखजी
    21.5 लक्ष्मीनारायण पुत्र सुखजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

21.6 कमला पुत्री सुखजी
21.7 धोली पुत्री सुखजी
21.8 धापा पत्नि स्व. सुखजी
21.9 सुनीता पुत्री सुखजी
22. झुंथाराम पुत्र जयनारायण
23 गंगाधर पुत्र जयनारायण
24 सुगना पुत्री जयनारायण
25 गोपी पुत्र पेमा
26 बद्रीलाल पुत्र नाथू
27 विजेन्द्र पुत्र नाथू
28 मुकेश पुत्र नाथू
29 राजाराम पुत्र नाथू
30 संतोष पुत्री नाथू
31 विनोद पुत्री नाथू
32 शान्ति देवी पत्नि स्व. नाथू
33 ग्यारसा पुत्र गोविन्दा (फोत)
33.1 रामप्रसाद पुत्र ग्यारसा
33.2 रामनारायण पुत्र ग्यारसा
33.3 सुगना पुत्री ग्यारसा
33.4 पपीता पुत्री ग्यारसा
33.5 मन्जू पुत्री ग्यारसा
33.6 छोटा देवी पुत्री ग्यारसा
33.7 मनफूली देवी पत्नि ग्यारसा
34. भोंरीलाल पुत्र कजोड
35. सुरेश पुत्र कजोड
36. राधेश्याम पुत्र कजोड
37. ग्यारसी पत्नि स्व. कजोड(फोत)
37.1 लाली पुत्री कजोड
37.2 रामेश्वरी पुत्री कजोड
37.3 मन्नी उर्फ शान्ति पुत्री कजोड
37.4 मीरा पुत्री कजोड
37.5 ममता पुत्री कजोड
38 छीतर पुत्र पेमा
39 फूला देवी पत्नि स्व. कल्याण
40 अनीता पुत्री कल्याण
41 संज्या पुत्री कल्याण
42 लेखराज पुत्र कल्याण
43 हरकेश पुत्र कल्याण
44 सांवलराम पुत्र कल्याण
45 लोकेश पुत्र कल्याण
46 विकास पुत्र कल्याण नाबालिग जरिए संरक्षिका माता फूला देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

47 अशोक पुत्र कल्याण नाबालिग जरिए संरक्षिका माता फूला देवी
48 भूलीबाई पत्नि स्व० रुगनाथ(फौत)
48.1 नाथी पुत्री रूगनाथ
48.2 राजन्ती पुत्री रूगनाथ
48.3 बाबूलाल पुत्र कमल
48.4 जितेन्द्र पुत्र कमल
48.5 दिलकुश पुत्र कमल
48.6 माया पुत्री कमल
48.7 योगेन्द्र पुत्र कमल
48.8 राकेश पुत्र कमल
48.9 रायना पुत्री कमल
49 रामलाल पुत्र रुगनाथ
50 जगदीश पुत्र गंगाराम
51 अर्जुन पुत्र गंगाराम
52 रामलाल पुत्र गंगाराम
53 दाखा पुत्री गंगाराम
54. अर्जुन पुत्र गंगाराम
55 जगदीश पुत्र गंगाराम
56 रामलाल पुत्र गंगाराम
58 बिरदा पुत्र पून्या
59 रामदेवा पुत्र पून्या
60 मोतीलाल पुत्र ईसरलाल
61 सीताराम पुत्र केसरा
62 लल्लुप्रसाद पुत्र रामकरण
63 हरिराम पुत्र रामकरण
64 सुरजा पुत्री रामकरण
65 रामप्यारी पुत्री रामकरण
66 रामसुखा पुत्र नोन्दा
67 गोपाल पुत्र प्रसादा
68 मुकेश पुत्र प्रसादा
69 झुंथा पत्नि स्व० प्रसादा
70 रामसहाय पुत्र मूल्या
71 देवीलाल पुत्र मूल्या
72 भगवानसहाय पुत्र रामकिशोर
73 छुट्टन पुत्र रामकिशोर
74 रंगलाल पुत्र रामकिशोर
75 मन्नी देवी पत्नि स्व. रामकिशोर
76 रामसहाय पुत्र मांग्या
77 लक्ष्मण पुत्र गोविन्दा

समस्त निवासी ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

निरंतर ...4 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र सं0 168/2019 रा0रा0अ0

उपस्थित– 1. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 11.01.2023

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 07.03.2017 के द्वारा ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 112 की अवाप्त भूमि के मुआवजा अवार्ड राशि 20,73,834/–रू0 का पारित कर दिया। उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 07.3.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी सं0 2 से 77 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए के दौसा – लालसोट– कोथून खण्ड के चौडाईकरण हेतु ग्राम श्रीया तह० रामगढ पचवारा की भूमि खसरा नम्बर 112 अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई थी जिसका अवार्ड दिनांक 7–3–2017 बनाया गया था। उक्त अवार्ड जारी होने के पश्चात मौके पर ग्राम श्रीया तह० रामगढ पचवारा व ग्राम निर्झरना तह० लालसोट के हितबद्व व्यक्तियो के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया जिसका कारण यह रहा कि ग्राम निर्झरना तह० लालसोट एवम ग्राम श्रीया तह० रामगढ पचवारा दोनो पास पास में स्थित है एवम इनकी सीमा रेखा आपस मे स्पर्श करती है। ग्राम निर्झरना के खसरा नम्बर 198/129 व 130 ग्राम श्रीया के खसरा नम्बर 114/ 2, 205/114 व 112 की सीमा रेखा से मिलते हुए है इसलिए तत्समय मौके पर दोनो ग्रामो की सीमा रेखा का सही निर्धारण नही हो पाया था। अवार्ड जारी होने के पश्चात विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त दोनो ग्रामो की सीमा का निर्धारण हेतु तहसीलदार लालसोट द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1100 दिनांक 29–5–2018 द्वारा भू प्रबंध अधिकारी अलवर से सीमा निर्धारण करने हेतु दल भिजवाने का निवेदन किया एवम समय समय पर मिन प्रार्थी द्वारा भी निवेदन किया गया, जिस पर भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 3–6–2019 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 10–6–2019 से दोनो ग्रामो की सीमा का निर्धारण व सीमाज्ञान हो जाने तक सीमाज्ञान हेतु दल भिजवाया जा रहा है। उक्त पत्र के अनुक्रम में तहसील लालसोट एवम तहसील रामगढ पचवारा का राजस्व दल भी सीमाज्ञान हेतु दिनांक 10–6–19 को तैयार किया गया। दोनो दलो द्वारा दिनांक 10–6–19 से 20–6–19 तक मौके पर उपस्थित रहकर सीमाज्ञान किया गया व मिन प्रार्थी के कार्यालय में मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीमाज्ञान किये जाने के पश्चात पूर्व में जारी किये गये अवार्ड एवं नवीन रकबा अनुसार ड्राफ्ट अवार्ड में रकबे के घटने बढने के कारण अवार्ड की राशि में अन्तर आ गया है। वर्तमान में दोनो दलो से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खातेदारों के रकबे एवम अवार्ड राशि में आया अंतर इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 मीरा पत्नी गणेश का हिस्सा 1/72 रकबा 0.014 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 28803/– रूपये के स्थान पर 14538/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 14265/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी सं0 3 रामसहाय पुत्र गणेश का हिस्सा 1/72 रकबा 0.14 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...5 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

28803/–रू0 के स्थान पर 14538/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 14265/–रू0 की कमीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 4 रामगोपाल पुत्र गणेश का हिस्सा 1/72 रकबा 0.014 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 28803/– रूपये के स्थान पर 14538/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 14265/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 5 बरदी पत्नि स्व0 शंकरलाल का हिस्सा 1/720 रकबा 0.001 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 2880/– रूपये के स्थान पर 1454/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 1427/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 6 गोपाली पत्नि छीतर का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/– रूपये के स्थान पर 7269/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 7 बाबूलाल पुत्र शंकर का हिस्सा 1/120 रकबा 0.008 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 17282/–रूपये के स्थान पर 8723/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 8559/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 8 बनवारी पुत्र शंकर का हिस्सा 1/120 रकबा 0.008 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 17282/– रूपये के स्थान पर 8723/–रूपये कर दी गई है । इस प्रकार अवार्ड राशि में 8559/– रूपये की कमी की गई है । अप्रार्थी संख्या 9 विनोद पुत्र शंकर का हिस्सा 1/120 रकबा 0.008 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 17282/– रूपये के स्थान पर 8723/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 8559/–रूपये की कमी की गई है । अप्रार्थी संख्या 10 महेन्द्र पुत्र शंकर का हिस्सा 1/120 रकबा 0.008 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 17282/– रूपये के स्थान पर 8723/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 8559/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 11 लछमन पुत्र काल्या का हिस्सा 1/12 रकबा 0.083 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 172820/–रूपये के स्थान पर 87229/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 85590/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 12 गंगू पुत्र गोपाल का हिस्सा 1/24 रकबा 0.042 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 86410/–रूपये के स्थान पर 43615/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 42795/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 13 ओमप्रकाश पुत्र लालू का हिस्सा 1/240 रकबा 0.004 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 8641/–रूपये के स्थान पर 4361/–रू0 कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 4280/–रू0 की कमी की गई है । अप्रार्थी संख्या 14 मदनलाल पुत्र लालू का हिस्सा 1/240 रकबा 0.004 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 8641/– रूपये के स्थान पर 4361/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 4280/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 15 रामकुवांर पुत्र लालू का हिस्सा 1/ 240 रकबा 0.004 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 8641/– रूपये के स्थान पर 4361/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 4280/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 16 शान्ति देवी पत्नि स्व. लालू का हिस्सा 1/240 रकबा 0.004 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 8641/– रूपये के स्थान पर 4361/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 4280/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 17 रामस्वरूप पुत्र गोविन्दा का हिस्सा 1/60 रकबा 0.017 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 34564/– रूपये के स्थान पर 17446/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 17118/–रूपये की कमी की गई है । अप्रार्थी संख्या 18 मेवा पुत्र केसरा का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/–रूपये के स्थान पर 29976/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 19 बल्लू पुत्र कन्हैया का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...6 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

हिस्सा 1/120 रकबा 0.008 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 17282/— रूपये 8723/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 8559/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 20 गंगाराम पुत्र कन्हैया का हिस्सा 1/120 रकबा है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 17282/— रूपये के स्थान पर 8723/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 8559/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 21 सुखजी पुत्र पून्या का हिस्सा 1/60 रकबा 0.017 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 34564/— रूपये के स्थान पर 17446/— रूपये कर दी गई। इस प्रकार अवार्ड राशि में 17118/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 22 झुंथाराम पुत्र जयनारायण का हिस्सा 1/180 रकबा 0.006 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 11521/ — रूपये के स्थान पर 5815/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 5706/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 23 गंगाधर पुत्र जयनारायण का हिस्सा 1/180 रकबा 0.006 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 11521/—रूपये के स्थान पर 5815/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 5706/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 24 सुगना पुत्री जयनारायण का हिस्सा 1/180 रकबा 0.006 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 11521/—रूपये के स्थान पर 5815/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 5706/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 25 गोपी पुत्र पेमा का हिस्सा 1/24 रकबा 0.042 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 86410/—रूपये के स्थान पर 43615/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 42795/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 26 बद्रीलाल पुत्र नाथू का हिस्सा 1/420 रकबा 0.002 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 4938/—रूपये के स्थान पर 2492/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 2445/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी नम्बर 27 विजेन्द्र पुत्र नाथू का हिस्सा 1/420 रकबा 0.002 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 4938/—रूपये के स्थान पर 2492/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 28 मुकेश पुत्र नाथू का हिस्सा 1/420 रकबा 0.002 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 4938/— रूपये के स्थान पर 2492/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 2445/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 29 राजाराम पुत्र नाथू का हिस्सा 1/420 रकबा 0.002 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 4938/— रूपये के स्थान पर 2492/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 2445/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 30 संतोष पुत्री नाथू का हिस्सा 1/420 रकबा 0.002 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 4938/—रूपये के स्थान पर 2492/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 2445/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 31 विनोद पुत्री नाथू का हिस्सा 1/420 रकबा 0.002 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 4938/—रूपये के स्थान पर 2492/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 2445/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 32 शान्ति देवी पत्नि स्व. नाथू का हिस्सा 1/420 रकबा 0.002 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 4938/—रूपये के स्थान पर 2492/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 2445/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 33 ग्यारसा पुत्र गोविन्द का हिस्सा 1/60 रकबा 0.017 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 34564/—रूपये के स्थान पर 17446/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 17118/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 34 भौरीलाल पुत्र कजोड का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/—रूपये के स्थान पर 7269/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 35 सुरेश पुत्र कजोड का हिस्सा 1/144

निरंतर ...7 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

रकबा 0.007 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/–रूपये के स्थान पर 7269/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 36 राधेश्याम पुत्र कजोड का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/–रूपये के स्थान पर 7269/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 37 ग्यारसी पत्नि कजोड का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/– रुपये के स्थान पर 7269/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 38 छीतर पुत्र पेमा का हिस्सा 1/24 रकबा 0.042 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 86410/– रूपये के स्थान पर 43615/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 42795/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 39 फूला देवी पत्नि स्व. कल्याण का हिस्सा 1/324 रकबा 0.003 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/–रूपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 40 अनीता पुत्री कल्याण का हिस्सा 1/324 रकबा 0.003 है ० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/– रूपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 41 संज्या पुत्री कल्याण का हिस्सा 1 / 324 रकबा 0.003 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/– रुपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 42 लेखराज पुत्र कल्याण का हिस्सा 1/324 रकबा 0.003 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/– रूपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 43 हरकेश पुत्र कल्याण का हिस्सा 1/324 रकबा 0.003 है० का 6401/–रूपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी सं0 44 सांवलराम पुत्र कल्याण का हिस्सा 1/344 रकबा 0.003 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/–रूपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 45 लोकेश पुत्र कल्याण का हिस्सा 1/324 रकबा 0.003 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/– रूपये के स्थान पर 3231/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 3170/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 46 विकास पुत्र कल्याण नाबालिग जरिए संरक्षिका माता फूला देवी का हिस्सा 1/324 रकबा 0.003 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/–रूपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 47 अशोक पुत्र कल्याण नाबालिग जरिए संरक्षिका माता फूला देवी का हिस्सा 1/324 रकबा 0.003 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 6401/–रूपये के स्थान पर 3231/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अपवार्ड राशि में 3170/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 48 भूली बाई पत्नि स्व. रघुनाथ का हिस्सा 1/72 रकबा 0.014 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 28803/–रूपये के स्थान पर 14538/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 14265/–रू0 की कमीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 49 रामलाल पुत्र रूगनाथ का हिस्सा 1/72 रकबा 0.014 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 28803/–रूपये के स्थान पर 14538रु/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 14265/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 50 उमराव पुत्र रूगनाथ का हिस्सा 1/72 रकबा 0.014 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 28803/– रूपये के स्थान पर 14538/– रूपये कर दी गई है। इस

निरंतर ...8 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार अवार्ड राशि में 14265/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 51 जगदीश पुत्र गंगाराम का हिस्सा 1/192 रकबा 0.005 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 10801/— रूपये के स्थान पर 5452/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 5349/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 52 अर्जुन पुत्र गंगाराम का हिस्सा 1/192 रकबा 0.005 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 10801/—रूपये के स्थान पर 5452/—रू0 कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 5349/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 53 रामलाल पुत्र गंगाराम का हिस्सा

1/192 रकबा 0.005 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 10801/— रूपये के स्थान पर 5452/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 5349/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 54 दाखा पुत्री गंगाराम का हिस्सा 1/192 रकबा 0.005 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 10801/— रुपये के स्थान पर 5452/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 5349/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 55 अर्जुन पुत्र गंगाराम का हिस्सा 1/48 रकबा 0.021 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 43205/— रुपये के स्थान पर 21807/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 21398/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 56 जगदीश पुत्र गंगाराम का हिस्सा 1/48 रकबा 0.021 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 43205/— रुपये के स्थान पर 21807/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 21398/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 57 रामलाल पुत्र गंगाराम का हिस्सा 1/48 रकबा 0.021 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 43205/— रुपये के स्थान पर 21807/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 21398/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 58 बिरदया पुत्र पून्या का हिस्सा 1/60 रकबा 0.017 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 34564/—रूपये के स्थान पर 17446/—रू. कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 17118/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 59 रामदेव पुत्र पून्या का हिस्सा 1/60 रकबा 0.017 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 34564/— रूपये के स्थान पर 17446/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 17118/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 60 मोतीलाल पुत्र ईसरलाल का हिस्सा 1/24 रकबा 0.042 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 86410/——रूपये के स्थान पर 43615/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 42795/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 61 सीताराम पुत्र केसरा का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/—रूपये के स्थान पर 29076/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/—रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 62 लल्लुप्रसाद पुत्र रामकरण का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/— रूपये के स्थान पर 7269/—रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 63 हरिराम पुत्र रामकरण का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/—रूपये के स्थान पर 7269/— रूपये [illegible] है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी [illegible] पुत्री रामकरण का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व [illegible] राशि 14402/— रूपये के स्थान पर 7269/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 65 रामप्यारी पुत्री रामकरण का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/— रूपये के स्थान पर 7269/— रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/— रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 66 रामसुखा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...9 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

नोन्दा का हिस्सा 1/124 रकबा 0.042 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 86410/– रुपये के स्थान पर 43615/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 42795/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 67 गोपाल पुत्र प्रसादा का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/– रुपये के स्थान पर 29076/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 68 मुकेश पुत्र प्रसादा का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/–रूपये के स्थान पर 29076/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 69 झुंथा पत्नि प्रसादा का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/–रूपये के स्थान पर 29076/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/– रूपये की कमी की गई है । अप्रार्थी संख्या 70 रामसहाय पुत्र मूल्या का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028है. का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/–रू0 के स्थान पर 29076/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/–रू0 की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 71 देवीलाल पुत्र मूल्या का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028है का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/–रू0 के स्थान पर 29076/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/–रू0 की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 72 भगवानसहाय पुत्र रामकिशोर का हिस्सा 1/144 रकबा 0.. 007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/– रूपये के स्थान पर 7269/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 72 भगवानसहाय पुत्र रामकिशोर का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/–रूपये के स्थान पर 7269/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 73 छुटन पुत्र रामकिशोर का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/– रुपये के स्थान पर 7269/–रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/–रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 74 रंगलाल पुत्र रामकिशोर का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/– रुपये के स्थान पर 7269/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 75 मन्नी देवी पत्नि स्व० रामकिशोर का हिस्सा 1/144 रकबा 0.007 है0 का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 14402/– रूपये के स्थान पर 7269/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 7133/– रूपये की कमी की गई है । अप्रार्थी संख्या 76 रामसहाय पुत्र मांग्या का हिस्सा 1/36 रकबा 0.028 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 57607/– रूपये के स्थान पर 29076/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 28530/– रूपये की कमी की गई है। अप्रार्थी संख्या 77 लक्ष्मण पुत्र गोविन्दा का हिस्सा 1/60 रकबा 0.017 है० का पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 34564/– रूपये के स्थान पर 17446/– रूपये कर दी गई है। इस प्रकार अवार्ड राशि में 17118/– रूपये की कमी की गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 112 के पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 20,73,834/– रूपये के स्थान पर 10,46,753/–रूपये किया जाना कानूनन सही है। इस प्रकार अवार्ड राशि 10,27,081/– रूपये की कमी उक्त खसरा नम्बर 112 के मुंआवजे में किया जाना समाचित है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नंबर 112 वाके ग्राम श्रीया की पूर्व निर्धारित की गई अवार्ड राशि 20,73,834/–रू0 के स्थान पर अप्रार्थी सं0 2 लगा0 77 के विवरण अनुसार 10,46,753/–रू0 का संशोधित अवार्ड आदेश जारी करने हेतु अप्रार्थी सं0 1 सक्षम प्राधिकारी को आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...10 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

पैरोकार सरकार ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 112 में से दौसा लालसोट कौथून खंड के चौडाईकरण हेतु भूमि अवाप्त की गई थी। ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा व ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट दोनों ग्राम पास–2 में स्थित है व इनकी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं होने से हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य विवाद की स्थिति थी। अवार्ड जारी होने के पश्चात विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त दोनों ग्रामों की सीमा निर्धारण हेतु तहसीलदार लालसोट द्वारा भू प्रबंध अधिकारी अलवर से सीमा निर्धारण हेतु दल भिजवाने हेतु निवेदन किये जाने पर भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा टीम भिजवाई जाकर तहसील लालसोट व तहसील रामगढ पचवार की टीम के साथ मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान पश्चात प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में जारी अवार्ड के अनुसार अवाप्त रकबा 11321 वर्गमीटर था जो अब नवीन अवाप्त रकबा 5058 वर्गमीटर हो गया, जिसके अनुसार अवार्ड में रकबे के घटने के कारण अवार्ड राशि में 10,27,081 / –रू. का अंतर आ गया है। चूंकि पूर्व में जारी अवार्ड राशि 20,73,834 / –रू. थी जो अब नवीन अवाप्त रकबे के अनुसार 10,46,753 / –रू0 हो गई है जो खसरा नंबर 112 वाके ग्राम श्रीया के खातेदारों को भुगतान किया जाना है। खसरा नंबर 112 वाके ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा हेतु पूर्व में जारी अवार्ड राशि 20,73,834 / –रू. रकबा 11321 वर्गमीटर के स्थान पर वर्तमान में अवाप्त रकबा 5058 वर्गमीटर अनुसार 10,46,753 / –रू0 अवार्ड स्वीकृत किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया।

अप्रार्थी सं0 2 लगायत 77 के द्वारा तहसीलदार रामगढ पचवारा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संशोधित अवार्ड के अनुसार 10,46,753 / –रू0 के मुआवजे को प्राप्त करने हेतु सहमति प्रदान की है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किंया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट की रिपोर्ट दिनांक 6.9.2019 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने ग्राम श्रीया स्थित निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नबर 112 में से 11321 वर्गमीटर भूमि दौसा–लालसोट–कौथून खंड के चौडाईकरण हेतु अवाप्त की गई थी। जिसका भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट ने 20,73,834 / –रू. का अवार्ड पारित किया गया था। सीमाज्ञान पश्चात खसरा नंबर 112 का अवाप्त रकबा 11321 वर्गमीटर के स्थान पर घटकर 5058 वर्गमीटर रह जाने से संशोधित अवार्ड राशि 10,46,753 / –रू0 पारित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा एवं ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट दोनो ग्राम पास–पास में होने व इनकी सीमारेखा का निर्धारण नही होने से हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य मुआवजा राशि का विवाद पैदा हो गया। उक्त ग्रामों की सीमा रेखा के निर्धारण नहीं होने पर भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा भिजवाई गई टीम ने तहसील लालसोट एवं रामगढ पचवारा की टीम के साथ सीमाज्ञान किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान के उपरांत ग्राम श्रीया की खसरा नंबर 112 की पूर्व में पारित अवार्ड के अनुसार रकबा 11321 वर्गमीटर 20,73,834 / –रू. का था जो कि सीमाज्ञान के पश्चात रकबा घटकर 5058 वर्गमीटर रह गया है जिसका संशोधित अवार्ड 10,46,753 / –रू0 का संशोधित अवार्ड पारित किये जाने बाबत भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को आदेश दिया जाना न्यायोचित मानते है। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 77 द्वारा भी उक्त संशोधित अवार्ड की राशि को प्राप्त करने हेतु तहसीलदार रामगढ पचवारा को सहमति प्रदान की गई है। हम प्रकरण में सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को प्रकरण रिमांड किये जाने योग्य समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...11 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 168/2019 रा0रा0अ0

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट द्वारा पारित अवार्ड के उस भाग को निरस्त किया जाता है जिसके द्वारा ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 112 रकबा 11321 वर्गमीटर भूमि का अवार्ड पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः सुनवाई की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 11 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:16:02 IST
Reason: SelfAttested